



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U. P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-1479-अ0प्र0-07/पाकालि/24-06-अ0प्र0-07/22

दिनांक 29/06/2024

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत अवर अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) की सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर प्रोन्नति हेतु दिनांक 02.11.2024 को सम्पन्न हुई विभागीय चयन समिति की बैठक में मोहरबन्द किये गये प्रकरणों में से श्री लोकेश कुमार लोक (वरि0क्र0-2012/CEH/199), अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रश्नगत प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण को "दोषमुक्त" करते हुए समाप्त किये जाने के दृष्टिगत इनका मोहरबन्द लिफाफा खोलकर इन्हें अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) के पद पर नोशनल प्रोन्नत किया जाता है तथा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नवत तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित निगम को तैनाती हेतु आवंटित किया जाता है :-

क्र0 सं0	अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम / जन्मतिथि / गृह जनपद / SAP ID / वरि0क्र0 सर्वश्री	वर्तमान तैनाती स्थान	आवंटित अभिज्ञान सं0	प्रोन्नति पश्चात् तैनाती हेतु आवंटित डिस्कॉम/इकाई
1	2	3	4	5
1	लोकेश कुमार लोक/राम स्वरूप मेहता/ मुंगेर (बिहार) / 02-06-1983/11002946/ 2012/CEH/199	वि0न0वि0खं0 तृतीय मुरादाबाद	2023103	पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि0

- परिषदादेश सं0-1849-काविनी/राविप-29/97-14-काविनी/87, दिनांक 08.10.1997 के प्रस्तर-7(क) में निहित प्राविधानानुसार श्री लोकेश कुमार लोक (वरि0क्र0-2012/CEH/199), को उनसे आसन्न कनिष्ठ श्री पैस्वनी राम (वरि0क्र0-2012/CEH/200), की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति आदेश सं0-323-अ0प्र0-07/पाकालि/24, दिनांक 07.02.2024 के निर्गमन की तिथि अर्थात् दिनांक 07.02.2024 से नोशनल प्रोन्नत माने जाने के आदेश किये जाते हैं।
- उपरोक्त प्रोन्नत कार्मिक पूर्व परिषदादेश सं0-485-ए-आर/राविपि-01-28-एआर/89, दिनांक 27.03.89 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेगे। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे।
- सहायक अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के पद पर प्रोन्नत हुए अवर अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के नियंत्रक अधिकारी, उन्हें अवर अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के पद से कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि -
(क) अवर अभियन्ता निलम्बित न हो।
(ख) अवर अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयंत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
(ग) अवर अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन का प्रकरण लम्बित न चल रहा हो।
(घ) अवर अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के विरुद्ध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।
- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में का0ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।

Signature

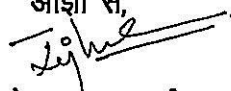
6. कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-2777-ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०-01/2023, दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन में सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत उपरोक्त अभियन्ताओं की Joining/Relieving ई०आर०पी० प्रणाली पर ही किया जाना है।
7. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत उक्त अभियन्ता यथा शीघ्र अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। प्रोन्नत कार्मिक को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा अवमुक्त कर दिया जाए।
8. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रोन्नत अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन प्रस्तुत कर चुका हो।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या :-1479-अ०प्र०-07/पाकालि/2024/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल/पूर्वांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/वाराणसी।
4. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० पा०का०लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारी का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करें।
5. मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को पत्रांक-1291/अनु०-01/सहा०अभि०/पदो०, दिनांक 30.09.2023 एवं 1391/अनु०-01/सहा०अभि०, दिनांक 25.10.2023 द्वारा प्रेषित छान समिति की आख्या के सन्दर्भ में।
6. उप सचिव (अ०प्र०-03/04/गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अनुभाग अधिकारी (अ०प्र०-03/04), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
10. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारी/प्रोन्नत अभियन्ता के सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि प्रोन्नत हुए अभियन्ता को अवर अभियन्ता के पद से कार्यमुक्त करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं तदक्रम में उनकी सेवा पुस्तिका प्राथमिकता से पूर्ण कराकर लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारी/प्रोन्नत अभियन्ता को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी प्रमाणक पत्र (चार्ज सर्टीफिकेट) उप सचिव (03/04), उ०प्र० कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन (ई०मेल-ds0304uppcl@gmail.com / uppcljs02@gmail.com) एवं लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार (ई०मेल-vetanlekha@gmail.com) को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
12. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,

 (राजेन्द्र कुमार वर्मा)
 उप सचिव (07)
 उत्तर